हिन्दुस्तान जनपद रामपुर दिनॉक 08.10.2024

अपराध | तीन प्रारूप पर एकत्र करेंगी सूचना, आई सूचना के निवारण का विवरण रजिस्टर में करना होगा दर्ज

तीन हल्कों को जोड़ बनेगी एक महिला बीट

रामपुर, संवाददाता। महिला संबंधी अपराध पर रोक लगाने के लिए अब हर थाने में तीन हल्कों को जोड़कर एक महिला बीट बनाई जाएगी। जिसमें महिला आरक्षियों की तैनाती की जाएगी। महिला आरक्षी प्रतिदिन अपनी बीट में जाकर महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं व स्थलों को चिह्नित कर तीन प्रारूप पर सूचनाएं संकलित कर थाना प्रभारी को देंगी। महिला सुरक्षा व स्वावलंबन योजना को प्रभावी बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है।

जिले में 18 थाने हैं। जिस पर महिला दरोगा और सिपाही तैनात है। वहीं, जिले में दो थानों की कमान भी महिला इंस्पेक्टर के पास है। ऐसे में एडीजी ने थानावार महिला बीट बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि बीट पर थाने में तैनात महिला आरक्षियों को तैनात किया जाए। एक बीट में दो से तीन महिला सिपाही तैनात की जाए। महिला सिपाहियों को प्रतिदिन अपनी बीट में शामिल गांव पहुंचकर महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए निर्धारित प्रारूप पर महिला अपराध संबंधी सूचनाओं को संकलित करना होगा। साथ ही पीड़ित महिलाओं व उनके परिजनों की काउंसिलिंग, शिकायतों का निस्तारण और उन्हें महिला अपराध संबंधी कानूनों के बारे में जानकारी देना होगा। बीट आरक्षी की रिपोर्ट मिलने के बाद थाना प्रभारी मामले में कार्रवाई करेंगे।

हर थाने में हल्कों को जोड़कर एक महिला बीट बनाई जाएगी। महिला आरक्षी प्रतिदिन अपनी बीट में जाकर महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं व स्थलों को चिह्नित कर सूचना देंगी।

– रमित शर्मा, एडीजी बरेली जोन

इन जिम्मेदारियों का करना होगा निर्वहन

रामपुर। शराब व नशीले पदार्थों की बिक्री संबंध में जानकारी, घरेलू हिंसा, होटल, स्पा,ब्यूटी पार्लर, कॉल सेंटर, पार्क, कोचिंग सेंटर, मॉल, रेस्टोरेंट आदि की जानकारी एकत्र करनी होगी। इसके साथ ही अगर बाहर से आकर कोई महिला या बच्चा रह रहा हो,चेन स्नेचिंग के संभावित स्थलों, क्षेत्र के सुनसान स्थानों के बारे में भी जानकारी दर्ज की जाएगी। महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, महिला अपराध संबंधी कानूनों, महिलाओं व बच्चों की मानव तस्करी, पॉक्सो एक्ट आदि के बारे में जानकारी देनी होगी।

निवारण का विवरण करना होगा दर्ज

रामपुर। महिला आरक्षी पीड़िताओं व उनके परिजनों की काउंसिलिंग व शिकायतों का निवारण का विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही महिला अपराध संबंधी सूचनाओं को संकलित करना होगा। संकलित सूचना के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।